''विज्ञप्ति

पीसीडीएफ मुख्यालय, पीसीडीएफ की इकाईयों एवं दुग्ध संघों में परिसम्पत्ति रजिस्टर बनाये जाने व परिसम्पत्तियों का विवरण परिसम्पत्ति रजिस्टर में अंकित किये जाने हेतु राजस्व विभाग से सम्बन्धित ऐसे अधिकारी जो तहसीलदार के पद से अधिवर्षता आयु पूर्ण होने के उपरान्त सेवानिवृत्त हुये हो, को 11 माह के लिए मानदेय पर रखा जाना प्रस्तावित है। इच्छुक सेवानिवृत्त व्यक्ति अपना बायोडाटा समस्त प्रपत्रों के साथ विज्ञापन प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर प्रभारी (प्रशासन/कार्मिक), पी0सी0डी0एफ0 मुख्यालय, 29, पार्क रोड, लखनऊ या ई–मेल आई0डी0–admn.pcdf@paragmilkup.in को उपलब्ध करा सकते है।

क0सं0	पदों का नाम	पद की संख्या	देय मानदेय	टिप्पणी
	तहसीलदार पद से सेवानिवृत्त अधिकारी	02	अन्तिम वेतन से पेंशन घटाते हुए शेष धनराशि।	राज्य सरकार से सेवानिवृत्त (अधिकतम् आयु सीमा 65 वर्ष)

उक्त पद के सापेक्ष कान्ट्रैक्ट के माध्यम से कार्मिकों की तैनाती हेतु शर्ते निम्नवत होंगी–

1. *पी0सी0डी0एफ0 लि0 में कान्ट्रैक्ट के आधार पर उक्त पद पर 11 माह हेतु मानदेय पर तैनाती की जायेगी।*
2. *उक्त कान्ट्रैक्ट कार्मिक द्वारा पीसीडीएफ मुख्यालय तथा उसकी इकाईयों एवं दुग्ध संघो मे तैनात प्रभारियो/प्रबन्धको व जिला स्तरीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए* पीसीडीएफ की इकाईयों एवं दुग्ध संघों में परिसम्पत्ति रजिस्टर बनाये जाने व परिसम्पत्तियों का विवरण परिसम्पत्ति रजिस्टर में अंकित किये जाने की कार्यवाही *सुनिश्चित करायी जायेगी।*
3. *उक्त कान्ट्रैक्ट के आधार पर तैनात कार्मिक को उनके देय अन्तिम वेतन से पेंशन घटाते हुए शेष धनराशि प्रतिमाह मानदेय के रूप में देय होगी। उक्त तैनात किये जाने वाले कान्ट्रैक्ट कार्मिक को मानदेय धनराशि रु0 (अन्तिम वेतन से पेंशन घटाते हुए शेष धनराशि प्रतिमाह) के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।*
4. *उक्त मानदेय की धनराशि का भुगतान आयकर अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।*
5. *कान्ट्रैक्ट पर तैनात उक्त कार्मिक को प्रत्येक पूरे महीने के लिए 1.5 दिन की अवकाश की दर से अवकाश देय होगा। उक्त अवकाश की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक पीसीडीएफ से प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही अवकाश का उपभोग किया जायेगा। अनाधिकृत अनुपस्थिति के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक पीसीडीएफ लि0 द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।*
6. *कान्ट्रैक्ट पर तैनात उक्त कार्मिक को विशेष परिस्थितियों में सार्वजनिक/सप्ताहिक अवकाशों में भी सामान्य कार्यदिवस की भांति कार्य पर बुलाया जा सकता है।*
7. *कान्ट्रैक्ट पर तैनात उक्त कार्मिक की सेवा अवधि 11 माह की होगी, जिसे उनकी कार्य क्षमता एवं कार्यात्मिक आवश्यकता के दृष्टिगत आगे 11 माह के लिए पीसीडीएफ लि0 की अन्तरिम् प्रबन्ध समिति के अनुमोदन से बढाया जा सकेगा।*
8. *कान्ट्रैक्ट पर तैनात उक्त कार्मिक द्वारा 11 माह की अवधि से पूर्व पद से पृथक होने के लिए कम से कम 15 दिवस पूर्व नोटिस दिया जाना अनिवार्य होगा।*
9. *कान्ट्रैक्ट पर तैनात उक्त कार्मिक की कान्ट्रैक्ट के दौरान होने वाली कोई हानि/दुर्घटना/क्षति अथवा इन्जरी जो उसको कार्य को पूर्ण किये जाने/यात्रा के दौरान होती हो उस हेतु संस्था उत्तरदायी नहीं होगी।*

10. कान्ट्रैक्ट पर तैनात किये जाने की अवधि के दौरान कान्ट्रैक्ट कार्मिक किसी भी अन्य व्यवसाय/व्यवसायिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होगा, जिससे संस्था का हित प्रभावित होता हो।
11. कान्ट्रैक्ट पर तैनात कार्मिक एवं संस्था के मध्य सेवा में हुये किसी विवाद के प्रति अन्तिम निर्णय प्रबन्ध निदेशक, पीसीडीएफ लि0 में निहित होगा।
12. प्रबन्ध निदेशक पीसीडीएफ लि0 लखनऊ द्वारा पीसीडीएफ की कार्य की आवश्यकता एवं कृत कार्य की गुणवत्ता के दृष्टिगत कान्ट्रैक्ट के माध्यम से तैनात उक्त कार्मिक की कार्य अवधि को 11 माह से पूर्व बिना नोटिस के समाप्त की जा सकती है।

(राजीव कुमार सिंह)
प्रभारी (प्रशासन/कार्मिक)